सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

पीठासीन अधिकारी – श्री सुरेश चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 24/2017

श्री फतेहसिंह पुत्र श्री लाडूसिंह जाति रावत निवासी खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) ————वादी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

———प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 05.02.2019

वादी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का नून्द्रीमालदेव की कृषि भूमि जिसके पुराने खाता संख्या 83 खसरा नम्बर 234/2 रकबा 06–04–00 किस्म बा.1 है। उक्त भूमि में से श्री पूसा उर्फ पूसराम पुत्र श्री धन्ना निवासी शिवनाथपुरा के 1/2 हिस्सा रकबा 03–02–00 को वादी ने पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 12.10.1966 के द्वारा बएवज प्रतिफल राशि के क्रय किया था एवं बाद खरीद वादी उपरोक्त भूमि पर काबिज काश्त हुआ, जिसके बाबत् राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2022 से 2025 में वादी के हक में नोट नामान्तरण प्रविष्टी संख्या 29 पर इन्द्राजात किया गया। उपरोक्त आराजी को आगे वादग्रस्त आराजी भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। उपरोक्त के पश्चात् सेटलमेंट के दौरान सम्पूर्ण खसरा संख्या 234 के चार खसरे खसरा संख्या 344, 345, 346 व 348 बनाये गये एवं वादी के खरीदशुदा खसरे का खसरा संख्या 348 कायम किया गया उक्त कायत किये गये खसरे में वादी के खरीदशुदा रकबे 03 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर वादी के खसरे का रकबा 02–01–10 कायम कर दिया गया। हल्का पटवारी के द्वारा कारित किये गये उपरोक्त कृत्य की जानकारी वादी को राजस्व रेकार्ड की दिनांक 09.02.2017 को प्रति प्राप्त करने पर हुई एवं उसके पश्चात् पटवारी हल्का से सम्पर्क कर वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि का रकबा दुरूस्त करने का निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने वादी को यह कहते हुए मना कर दिया कि उक्त रकबे को दुरूस्त करवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी ब्यावर का आदेश लाओ तब ही तुम्हारे नाम गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज कर पायेंगे। इस कारण उक्त वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अतः वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी कृषि भूमि को रकबे को 02–01–10 के स्थान पर रकबा 03–02–00 दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अंकन करने का आदेश पारित फरमावे एवं प्रतिवादी को इस आशय से भी पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि के रकबे को जमाबन्दी संवत् 2022–25 की रूह में वर्तमान की जमाबन्दी एवं राजस्व रेकार्ड में उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि के रकबे को 03–02–00 अंकित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने जवाब में कथन किए कि साबिक खसरा संख्या 234/2 रकबा 06–04–00 किस्म बारानी 1 होना व्यक्त किया गया है जो गलत है एवं रेकार्ड से भिन्न है क्योंकि रेकार्डेड खसरा संख्या 234/2 का कुल रकबा 06–04–05 होना चाहिये था। वादपत्र में वादी द्वारा साबिक खसरा नम्बर 234/2 जिसका कुल रकबा जमाबन्दी संवत् 2022–25 अनुसार 06–04–05 था जिसके हिस्सा की रजिस्ट्री बयनामा दिनांक 12.10.1966 को पंजीकृत करवाई गई उसमें रकबा 03–02–2$^{1}/_{2}$ होना चाहिये था मगर नामान्तरण कार्यवाही 03–02–00 बीघा होना दृष्टिगोचर होता है जो जमाबन्दी व रजिस्ट्री बयनामा में भिन्नता दर्शाता है । साथ ही प्रार्थी द्वारा साबिक खसरा संख्या 234/2 के सेटलमेंट के दौरान नए नम्बर 348 कायम होना दर्शाया गया है जबकि खसरा नम्बर 348 का रकबा वर्तमान भू अभिलेख में 02–01–10 बीघा

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

ता.1+ इन्द्राज है जबकि वसाबिक भूमि किस्म बारानी 1 इन्द्राज थी तथा साबिक खसरा नम्बर 234/2 के नये खसरा नम्बर बने है उनमें कोई भी खसरा 03–02–00 का रेकार्डेड नहीं बना हुआ है। ऐसी स्थिति में साबिक व वर्तमान भू अभिलेख में तफावत है।

जवाब दावा प्राप्त होने पर अनुतोष सहित कुल 4 तनकियात कायम की गई। तनकियात कायम किये जाने के पश्चात् अधिवक्ता वादी ने वादी श्री फतेहसिंह का साक्ष्य का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का प्रस्तुत किया जिसमें वादी के कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे।

वकील वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने जिरह नहीं कर सीधे ही बहस किये जाने के कथन किए। बहस वकील वादी एवं पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर की सुनी गई। वकील वादी के कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे। वितर्क में पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार ब्यावर ने कथन किए कि साबिक खसरा नम्बर के बने हाल वर्तमान नम्बर में कोई भी खसरा नम्बर का रकबा वादी द्वारा प्रस्तुत बयनामा से मिलान नहीं होता है। इसके अतिरिक्त वादी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसकी शेष भूमि का रकबा कौनसे खसरे में शामिल है एवं उस रकबे से संबंधित खातेदार कौन है एवं ना ही उन्हें पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः वाद पत्र खारिज़ किया जावे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 12.10.1966 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसमें पूसा उर्फ पूसाराम वल्द धन्नाजी कौम गुजर साकिन शिवनाथपुरा ने खसरा संख्या 234/2 रकबा 06–04–00 में से रकबा 03–02–00 का बेचान श्री फतहसिंह वल्द लाडूसिंह के हक में किया जाना अंकित है। ग्राम शिवनाथपुरा की जमाबन्दी संवत् 2022–25 के खाता संख्या 53 में अंकित खसरा संख्या 234/2 रकबा 06–04–05 हजारी वल्द लाखा व पूसा वल्द धन्ना कौम गूजर सा. देह के नाम दर्ज है जिसमें नामान्तरण संख्या 79 पर ख.नं. 234/2 मि. रकबा 03–02–00 फतेहसिंह वल्द लाडूसिंह रावत सा. खेजड़ला के नाम दर्ज हुई है। ग्राम शिवनाथपुरा के मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 234 रकबा 12–08–10 के कुल 4 नए नम्बर बने है जो खसरा संख्या 344 रकबा 07–04–00, 345 रकबा 01–11–00, 347 रकबा 01–10–00, 348 रकबा 02–01–10 बने हैं। ग्राम शिवनाथपुरा पटवार हल्का नून्द्रीमालदेव की हाल जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 122 में अंकित खसरा संख्या 348 रकबा 02–01–10 किस्म ता+ फतेहसिंह वल्द लाडूसिंह कौम रावत सा. खेजड़ला खातेदार दर्ज है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि वादी ने जरिए पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 12.10.1966 से साबिक खसरा संख्या 234/2 में से रकबा 03–02–00 क्रय किया है, जिसमें से हाल खसरा संख्या 348 रकबा 02–01–10 तो वादी के नाम दर्ज हो गया, परन्तु भू संशोधन के बाद बने नए नम्बरों के रकबे से मिलान नहीं होता हैं। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह ज़ाहिर होता हो कि उक्त क्रय किये गये खसरे का शेष रकबा 01–01–00 कौनसे अन्य खसरे में मिला है। साबिक खसरा के बने चार नए नम्बरों में से एक खसरा संख्या 348 वादी के नाम अंकित हुआ है, परन्तु शेष बचे तीन खसरा नम्बरान में से किस का रकबा कम किया जावे, वादी द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की है एवं ना ही उक्त बने अन्य नये खसरान के खातेदारान में से किसी को पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। वादी द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन/दुरूस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद अपूर्ण दस्तावेजात/साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर

व अजलाम सुरेश चौधरी आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या 24/2017

श्री फतेहसिंह पुत्र श्री लाडूसिंह जाति रावत निवासी खेजड़ला तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.) ————वादी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये भू धारक श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील ब्यावर

————प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहाजरी.....मिनजामिन मुददई रूबरू.....मिनजामिन मुददायलह पेश हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अपूर्ण दस्तावेजात/साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाधि तक.....की अदा करें। बहस्ब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05–02–2019 को जारी किया गया।

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(सुरेश चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर